

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022—वैशाख 16, शक 1944

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र. ई-1-52-2022-5-एक.—श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे (2013) अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-53-2022-5-एक.—श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. ई-1-56-2022-5-एक.—श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह शिभाग तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2649

क्र. ई-1-55-2022-5-एक.—श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी द्वारा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार

क्र. ई-1-55-2022-5-एक.—श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे (1988), उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अ. प्र.) तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल (अ. प्र.) की दिनांक 31 मार्च 2022 अपराह्न से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
2.	श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

(2) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ.प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-249-2021-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल.

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2022

क्र. ई-1-34-2014-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 67(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :—

- |       |   |            |
|-------|---|------------|
| (i)   | मुख्य सचिव  | अध्यक्ष    |
| (ii)  | वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी. | सदस्य      |
| (iii) | राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या सचिव.  | सदस्य-सचिव |

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2021 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को सदस्य नामांकित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :—

- |       |   |            |
|-------|---|------------|
| (i)   | मुख्य सचिव  | अध्यक्ष    |
| (ii)  | वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी. | सदस्य      |
| (iii) | राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रधान सचिव या सचिव.   | सदस्य-सचिव |
| (iv)  | प्रधान सचिव या सचिव, वन   | सदस्य      |
| (v)   | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक  | सदस्य      |

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2020 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को सदस्य नामांकित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र सिंह चौहान, उपसचिव "कार्मिक".

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022

क्र. एफ 1(ए)-87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 18 से 29 अप्रैल 2022 तक 12 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उमेश जोगा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-17 अप्रैल 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2022

क्र. एफ-15-01-2022-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत रातापानी अभयारण्य के गठन एवं विस्तार हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

- (1) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 जुलाई 1976 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 15-04-76-दस-2 दिनांक 2 जुलाई 1976 में क्षेत्रफल 530.67 वर्ग कि. मी. (53066.56 हेक्टेयर) के स्थान पर वनक्षेत्र 532.286 वर्ग कि. मी. (53228.6 हेक्टेयर) पढ़ा जावे।
- (2) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून 1983 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2409-दस-2-83 दिनांक 04 जून 1983 के परिशिष्ट-1 रकबा 135.14 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 135.031 वर्ग कि. मी. (13503.1 हेक्टेयर) एवं परिशिष्ट-2 में क्षेत्रफल 23.65 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 155.748 वर्ग कि. मी. (15574.8 हेक्टेयर) पढ़ा जावे।

2. उपरोक्त संशोधन उपरान्त अभयारण्य की सीमाएं यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022

### शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-22-2022-अठारह-5.—राज्य शासन एतद्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2022 जो कि म. प्र. राजपत्र (साधारण)

में दिनांक 8 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुई है जिसमें अनुसूची में कतिपय ग्राम त्रुटिवश टंकित होने से छूट गये हैं।

अतः उक्त अनुसूची में संशोधन उपरान्त निम्न अनुसूची अनुसार पढ़ा जावे :—

**अनुसूची**  
**बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं**

**उत्तर में.**—ग्राम कनकी, खैरी, बोदा, कोलवा, टवेझरी तथा ग्राम हीरापुर की उत्तरी सीमा तक.

**पूर्व में.**—ग्राम हीरापुर, अमेड़ा, बगदरा, परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक.

**दक्षिण में.**—ग्राम लिंगा, नैतरा, गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोड़ी तथा ग्राम अलेझरी की दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिम में.**—ग्राम अलेझरी, रजेगांव, डुंगरिया, मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2022

पंजी. क्र. 1093-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी

श्री गिरजेश कुमार सोंधिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, वारासिवनी, जिला बालाघाट की सेवार्यें श्रम न्यायालय को पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बिनोद कुमार द्विवेदी**, प्रमुख सचिव.

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

**संशोधन आदेश**

भोपाल, दिनांक 22/25 अप्रैल 2022

फा. क्र. 1588-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश क्र. 1162, 603-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 23 मार्च 2022 की पंक्ति-5 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

श्री अभिजीत अवस्थी, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल “दिनांक 25 जनवरी 2022 से पुनः एक वर्ष” के स्थान पर “दिनांक 6 फरवरी 2022 से पुनः एक वर्ष” स्थापित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विकास भट्टेले**, अतिरिक्त सचिव.

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2022

क्र. 2012-1545-22-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

**अनुसूची**

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री नितिन वर्मा, JMFC
2	अनूपपुर	अनूपपुर	कु. आरती सिंह,, JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती अर्चना रघुवंशी, JMFC
4	बालाघाट	बालाघाट	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC
5	बड़वानी	बड़वानी	श्री विनय जैन, JMFC
6	बैतूल	बैतूल	कु. पुजा सिंह मौर्य, JMFC
7	भिण्ड	भिण्ड	कु. अंकिता गुप्ता, JMFC
8	भोपाल	भोपाल	कु. निधि शाक्यवार, JMFC
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्रीमती संगप्रिया भद्रसेन, JMFC
10	छतरपुर	छतरपुर	कु. मृणालिनी सिंह, JMFC
11	दमोह	दमोह	श्रीमती शेफाली सिंह, JMFC
12	दतिया	दतिया	श्री मनीष पाण्डेय, JMFC
13	धार	धार	कु. नविशता कुरैशी, JMFC
14	ई. एन. खण्डवा	ई. एन. खण्डवा	कु. निधि जैन, JMFC
15	गुना	गुना	कु. प्रीति जैन, JMFC
16	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तवा, JMFC
17	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	श्रीमती सपना भारती कतरोलिया, JMFC
18	जबलपुर	जबलपुर	श्रीमती मंजू सिंह, ACJM
19	झाबुआ	झाबुआ	कु. साक्षी मसीह, JMFC
20	कटनी	कटनी	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, JMFC
21	मंडला	मंडला	कु. फातिमा अली, JMFC
22	मंदसौर	मंदसौर	कु. लक्ष्मी वास्करे, JMFC
23	नीमच	नीमच	श्रीमती रेखा मरकाम, JMFC
24	रायसेन	रायसेन	कु. दीपिका यादव, JMFC
25	राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़ (ब्यावरा)	कु. स्वाति सिंह बघेल, JMFC
26	रीवा	रीवा	श्रीमती नीलिमा देवदत्त, JMFC
27	सागर	सागर	श्रीमती रोहिणी तिवारी, JMFC
28	सतना	सतना	श्रीमती शुभांगी पालो, JMFC
29	सीहोर	सीहोर	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, JMFC
30	सिवनी	सिवनी	कु. रंजना डोडवे, JMFC
31	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती हर्षिता गुप्ता, JMFC
32	श्योपुर	श्योपुर	कु. सपना शिवहरे, JMFC
33	सीधी	सीधी	श्रीमती सोभना मीना, JMFC
34	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीमती कविता संगम सिंह, JMFC
35	उज्जैन	उज्जैन	श्रीमती पल्लवी, JMFC
36	खरगोन (मंडलेश्वर)	खरगोन (मंडलेश्वर)	कु. नेहा अग्रवाल, JMFC

No. 2012-1545-22-50-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act. namely :—

#### SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirajpur	Alirajpur	Shri Nitin Verma. JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Anuppur	Anuppur	Ku. Arti Singh, JMFC
3	Ashoknagar	Ashoknagar	Smt. Archana Raghuvanshi, JMFC
4	Balaghat	Balaghat	Smt. Priyanka Vishvakarma, JMFC
5	Barwani	Barwani	Shri Vinay Jain, JMFC
6	Betul	Betul	Ku. Pooja Singh Mourya, JMFC
7	Bhind	Bhind	Ku. Ankita Gupta, JMFC
8	Bhopal	Bhopal	Ku. Nidhi Shakyawar, JMFC
9	Burhanpur	Burhanpur	Smt. Sangpriya Bhadrasen, JMFC
10	Chhatarpur	Chhatarpur	Ku. Mrinalini Singh, JMFC
11	Damoh	Damoh	Smt. Shephali Singh, JMFC
12	Datia	Datia	Shri Manish Pandey, JMFC
13	Dhar	Dhar	Ku. Navishta Qureshi, JMFC
14	E. N. Khandwa	E. N. Khandwa	Ku. Nidhi Jain, JMFC
15	Guna	Guna	Ku. Preeti Jain, JMFC
16	Gwalior	Gwalior	Smt. Sunayna Shrivastava, JMFC
17	Narmadapuram	Narmadapuram	Smt. Sapna Bharti Katroliya, JMFC
18	Jabalpur	Jabalpur	Smt. Manju Singh, ACJM
19	Jhabua	Jhabua	Ku. Sakshi Masih, JMFC
20	Katni	Katni	Smt. Ranjana Chaturvedi, JMFC
21	Mandla	Mandla	Ku. Fatima Ali, JMFC
22	Mandsaur	Mandsaur	Ku. Lakshami Vaskle, JMFC
23	Neemuch	Neemuch	Smt. Rekha Markam JMFC
24	Raisen	Raisen	Ku. Deepika Yadav, JMFC
25	Rajgarh (Bioara)	Rajgarh (Bioara)	Ku. Swati Singh Baghel, JMFC
26	Rewa	Rewa	Smt. Neelima Devdutt, JMFC
27	Sagar	Sagar	Smt. Rohini Tiwari, JMFC
28	Satna	Satna	Smt. Shubangi Palo, JMFC
29	Sehore	Sehore	Smt. Shubha Richhariya Dixit, JMFC
30	Seoni	Seoni	Ku. Ranjana Dodwe, JMFC
31	Shajapur	Shajapur	Smt. Harshita Gupta, JMFC
32	Sheopur	Sheopur	Ku. Sapna Shivhare, JMFC
33	Sidhi	Sidhi	Smt. Shobhna Meena, JMFC
34	Tikamgarh	Tikamgarh	Smt. Kavita Sangam Singh, JMFC
35	Ujjain	Ujjain	Smt. Pallavi, JMFC
36	Khargone (Mandleshwar)	Khargone (Mandleshwar)	Ku. Neha Agarwal, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्र. बा.श्र.-2022.—बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम-1-1-93-समन्वय, दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

#### जिला स्तरीय सतर्कता समिति-जबलपुर

- |   |   |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष  | 1. अपर कलेक्टर  |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर       | 2. 1. श्री ए. के. नायक, 1035 आशा काम्पलेक्स, बंगाली कालोनी.<br>2. श्रीमती सुनीता दाहिया, ग्राम छेडी पोस्ट बडौदा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर.<br>3. श्री मांगीलाल मरावी, ग्राम चंदेली पो. घाटपिपरिया जनपद पंचायत, जबलपुर. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                    | 3. 1. श्रीमती लता सिंह, गांधी स्टूडियो, मन्मूलाल अस्पताल के सामने, दीक्षितपुरा, जबलपुर.<br>2. श्री चक्रवर्ती, एन. प्लांट, नं. 55, गुरुदेव अस्पताल के सामने, दीक्षितपुरा, जबलपुर.                                      |
| 4. राज्य शासन द्वारा मनोनीत शासकीय (तीन सदस्य)      | 4. 1. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर<br>3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास, जबलपुर  |
| 5. वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य) | 5. 1. प्रबंधक, लीड बैंक, जबलपुर   |

क्र. बा.श्र.-2022.—बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम-1-1-93-समन्वय, दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

#### उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-जबलपुर

- |   |   |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष                                    | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जबलपुर  |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर | 2. 1. श्रीमती मंहतो बाई परस्ते पति प्रकाश निवासी सालीवाडा ग्राम पंचायत, तुनिया तह., जबलपुर.<br>2. श्री भारत मरावी पिता मोहनलाल मरावी निवासी सिवनी टोला पोस्ट तिलवारा घाट तह. जबलपुर.<br>3. श्री घनश्याम मसराम, पिता कमल सिंह मसराम निवासी ग्राम बरबटी पोस्ट पिंडरई तह., जबलपुर. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)              | 3. 1. श्री अनिल गौतम बडा हाई स्कूल के पास, पनागर<br>2. श्री संजय पटेल, पडरी बरेला, जबलपुर   |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                  | 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जबलपुर (सदस्य).<br>2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पनागर (सदस्य).  |



- |  |  |
|--|--|
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. शाखा प्रबंधक जिला भूमि विकास बैंक मर्यादित, पनागर |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 6. तहसीलदार, जबलपुर                                  |
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-कुण्डम**
- |  |  |
|--|--|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुण्डम   |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर    | 2. 1. श्रीमती आशा मार्को<br>2. श्री पूरन सिंह मरावी<br>3. श्री अमर सिंह आमो जुझारी                         |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 3. 1. श्री कमलेश साहू, कुण्डम<br>2. श्री रवीन्द्र चनपुरिया   |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                     | 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुण्डम (सदस्य).<br>2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुण्डम (सदस्य) |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कुण्डम.  |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 6. तहसीलदार, जबलपुर.   |

**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-पाटन**

- |  |  |
|--|--|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाटन.  |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर    | 2. 1. श्री मुकेश दाहिया, जनपद सदस्य ग्राम पंचायत, झामर तहसील, पाटन.<br>2. श्रीमती आशा बाई गौड़, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत, शहजपुर तह., पाटन.<br>3. श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोनू जनपद सदस्य ग्राम पंचायत, सहजपुर, तहसील शहपुरा.<br>4. श्रीमती मालती उर्फ सम्मा बाई ग्राम पंचायत, सिंहौदा थाना भेडाघाट तहसील शहपुरा. |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 3. 1. श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, गुरु मोहल्ला, पाटन<br>2. श्री बालचंद जैन, बाजार वार्ड, पाटन.   |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                     | 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटन.<br>2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन   |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा, पाटन  |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 6. 1. तहसीलदार, पाटन<br>2. तहसीलदार, शहपुरा  |

## उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-सिहोरा

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष                                       | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिहोरा  |
| 2. अनु.जाति/जनजाति जिला के (तीन सदस्य) जबलपुर    | 2. 1. श्रीमती उर्मिला दाहिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत, मझौली.<br>2. श्री बिहारीलाल दाहिया, ग्राम बेला, सिहोरा<br>3. श्री अनिल कुमार चौधरी, ग्राम कछपुरा |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)                 | 3. 1. श्रीमती अंजना सराफ, वार्ड नं. 6, सिहोरा<br>2. श्री संजय खरया, ग्राम तलाड तह. मझौली  |
| 4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)                     | 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिहोरा<br>2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मझौली  |
| 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य | 5. 1. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, सिहोरा   |
| 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी       | 6. 1. तहसीलदार, सिहोरा.   |

इलैयाराजा टी. कलेक्टर

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल  
(भू-तल-“बी” विंग, विंध्याचल भवन, भोपाल)

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2022

## “ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत अधिसूचना”

क्रमांक सह-अधि.-स्था.-2022-736 .—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 16 मई 2022 से दिनांक 10 जून 2022 तक, में से पन्द्रह दिन (15 दिन) का ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार सहकारी अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 16 मई से 20 मई 2022 तक (5 दिन) एवं दिनांक 1 जून से 10 जून 2022 (10 दिन) तक इस प्रकार कुल 15 दिन तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में, कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/10220/6560/दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-380 अनुक्रमांक-10 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - शाहपुर

तहसील - भौरा

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	मलवार	192.00	129.00	52.205	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/10220-6560-Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 380 Serial No. 10 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Shahpur	Malwar	192.00	129.00	52.205	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattlement officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/10220/6560/दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-380 अनुक्रमांक-11 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची

जिला - बैतूल  
वनमंडल - शाहपुर

तहसील - भौरा  
वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	घोड़ादेव	539.50	569.50	230.469	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/10220-6560-Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 380 Serial No. 11 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Shahpur	Ghodadev	539.50	569.50	230.469	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattlement officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/10220/6560/दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-382 अनुक्रमांक-34 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल  
वनमंडल - शाहपुर

तहसील - शाहपुर  
वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	सोनादेह बानाबहेड़ा 1	33.19	35.19	14.241	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby,  
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/10220-6560-Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 382 Serial No. 34 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Shahpur	Sonadeh Banabaheda 1	33.19	35.19	14.241	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattlement officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.



भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/122230-1866/दस-66 दिनांक 18.11.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 11 अगस्त 1966 में पृष्ठ क्रमांक-868 अनुक्रमांक-35 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची

जिला - बैतूल  
वनमंडल - शाहपुर

तहसील - बैतूल  
वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	शाहपुर	जामुन ढाना	993.00	113.00	45.730	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/12223-1866-Ten-66 dated 18-11-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 11 August 1967 in the page No. 382 Serial No. 35 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Shahpur**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Bhoura**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Shahpur	Jamundhana	993.00	113.00	45.730	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/458-1307-10-65 दिनांक 04.01.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-7 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल  
वनमंडल - बैतूल

तहसील - बैतूल  
वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	बैतूल	उत्तर पूर्व बांचा	16.12	16.32	6.604	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/458-1307-Ten-65 dated 04-01-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 7 of the single notification published in the Gazette dated 22 April 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Betul**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Betul**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Betul	North East Banchna	16.12	16.32	6.604	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/7989 (अ) दिनांक 08.07.1965 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-5 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल

वनमंडल - घोड़ाडोंगरी

तहसील - बैतूल

वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	घोड़ा डोंगरी	मर्दवानी (माल)	43.81	34.81	14.087	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/7989 (A) dated 08-07-1965 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 5 of the single notification published in the Gazette dated 04 February 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul**  
**Forest Division - Ghodadongari**  
**Betul**

**Tahsil - North Betul**  
**Forest Range -**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Ghoda dongari	Mardwani (Mal)	43.81	34.81	14.087	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/458-1307-10-65 दिनांक 04.01.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-6 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची

जिला - बैतूल  
वनमंडल - बैतूल

तहसील - बैतूल  
वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	बैतूल	खेड़ला टिकारी	3454.40	3378.00	1367.030	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

No. F-25-18/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby,  
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/458-1307-Ten-65 dated 04-01-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 7 of the single notification published in the Gazette dated 22 April 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Betul**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Betul**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Betul	Khedla Tikari	3454.40	3378.00	1367.030	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.



भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-18/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा:-

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/7989 (अ) दिनांक 08.07.1965 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-5 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है।

### अनुसूची

जिला - बैतूल  
वनमंडल - बैतूल

तहसील - बैतूल  
वन परिक्षेत्र - उत्तर बैतूल

क्र.	वनमंडल का नाम	तहसील	वनखंड का नाम	पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल	संशोधित रकबा		अभियुक्ति
				(एकड़ में)	(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल	बैतूल	उड़दन जामठी	1278.69	1247.70	504.927	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19 की कार्यवाही)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-18-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

**No. F-25-18/2022/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/7989 (A) dated 08-07-1965 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no. 5 of the single notification published in the Gazette dated 04 February 1966 is replaced by the figures in column no. 6 and 7 of the following schedule.

**SCHEDULE**

**District - Betul  
Forest Division - Betul**

**Tahsil - North Betul  
Forest Range - Betul**

No.	Forest Division Name	Tehsil	Forest Block Name	Previously Published Area	Modified Area		Conviction
				(In Acre)	(In Acre)	(In Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	North Betul	Betul	Urdan Jhamthi	1278.69	1247.70	504.927	Sub-divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-4/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड N 22°53'57.848" से N 22°54'12.106" उत्तर अक्षांश तथा E 75°00'27.060" से E 75°00'40.538" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला :- धार  
वनमण्डल :- धार

तहसील :- सरदारपुर  
वन परिक्षेत्र :- सरदारपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
01	सलवा-सी	सलवा	बडीं घरनोई निस्तार	65 13	6.958 1.500	उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 29 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 29 से 44 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				योग	8.458 हे.	

#### (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-एम.पी.सी. 013/2017-बी.एच.ओ./1129 दिनांक 19.02.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत दुमाला तालाब परियोजना में प्रभावित 12.380 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.380 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 8.458 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 192/अ-19(3)/2015-2016 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - नहीं।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्र. एफ-25-4-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-4-2021-दस-3, दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th June 2021

No.-F-25-4/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 22°53'57.848" to N 22°54'12.106" North Latitude and E 75°00'27.060" to E 75°00'40.538" East Longitude.

**SCHEDULE****District – Dhar****Forest Division – Dhar****Tehsil – Sardarpur****Forest Range – Sardarpur**

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries		
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)			
1	2	3	4	5	6	7		
01	Salva- A	Salva	Bayadi, Nistar Charnoi	65 13	6.958 1.500	<b>North-</b>	Artificial forest boundary from pillar no. 44 to 06 of Protected Forest Block.	
						<b>East-</b>	Artificial forest boundary from pillar no. 06 to 13 of Protected Forest Block.	
						<b>South-</b>	Artificial forest boundary from pillar no. 13 to 29 of Protected Forest Block.	
						<b>West-</b>	Artificial forest boundary from pillar no. 29 to 44 of Protected Forest Block.	
			<b>Total</b>		<b>8.458</b>			

**(A) Reason for publication of Notification :-**

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India's order No. 6-MPC008/2017-BHO/1129 dated 19-02-2018 and in lieu of 12.380 hectare of affected forest land under the sanctioned **Daumala Tank Project** of Water Resource Department of E.E. Dhar, the above mentioned Non Forest Land of 8.458 hectare mentioned in schedule from 12.380 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order no. 192/A-19(3)/2015-16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Deatails of other Reasons – Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the mentioned in schedule land as per certificate of Tehsildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer) are as under-

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

## भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-17/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड 23° 50' 43.1'' से 23° 50' 24.0'' उत्तर अक्षांश तथा 75° 17' 45.2'' से 75° 18' 03.1'' पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

## अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1	बोरवानी	06	बोरवानी		272/1	34.430	-	एफ-25-65/2016/10-3 दिनांक 05.08.2016	26.08.2016	उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।

										पश्चिम:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग			34.430				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-17-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-2022-दस-3, दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th April 2022

No./F-25-17/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23°50'43.1'' to 23°50'24.0'' North Latitude and 75°17'45.2'' to 75°18'03.1'' East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

**SCHEDULE**

District - Ratlam  
Tehsil - Jaora

Forest Division - Ratlam  
Forest Range - Sailana

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Borwani	06	Borwani	-	272/1	34.430	-	F-25-65/2016/10-3 Date 05.08.2016	26.08.2016	North- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to 14. East- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 14 to 16. South- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 16 to 28. West- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 28 to 01.
Total						34.430				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक/एफ-25-20/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड 23° 39' 23.9" से 23° 39' 42.7" उत्तर अक्षांश तथा 75° 14' 31.9" से 75° 15' 25.0" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

**अनुसूची**

जिला - रतलाम  
तहसील - जावरा

वनमण्डल - रतलाम  
वन परिक्षेत्र - सैलाना

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिन्दुरकिया	45	सिन्दुरकिया	-	397/1	35.752	-	एफ-25-140/2016/10-3 दिनांक 02.11.2016	11.11.2016	उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।

										पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 20 तक तथा 20 से 01 की कृत्रिम वन सीमा।
			योग			35.572				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.



भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्र. एफ-25-20-2022-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2022-दस-3, दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th April 2022

No./F-25-20/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N 23°39'23.9" to N 23°39'42.7" North Latitude and E 75°14'31.9" to E 75°15'25.0" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

**SCHEDULE**

District - Ratlam

Forest Division - Ratlam

Tehsil - Jaora

Forest Range - Sailana

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sindurkiya	45	Sindurkiya Protected Forest Block	-	397/1	35.572	-	F-25-140/2016/10-3 Date 02.11.2016	11.11.2016	North- Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to 05. East- Artificial Forest boundary from pillar no. 05 to 06. South- Artificial Forest boundary from pillar no. 06 to 14. West- Artificial Forest boundary from pillar no. 14 to 20 and 20 to 01.
Total						35.572				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खातेगांव, जिला-देवास

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 की धारा 3 के अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग

देवास, दिनांक 31 मार्च 2022

प्र.क. 0035/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन ~~केबल~~ एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थायी अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- आकावाल्या प.ह.नं. 70 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क. 0035/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.199 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे

छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अपारम्परिक भूमि की सारणी प्राग-भाकावाल्या म.ह.न. 70 सहस्रील-र्यातेगांव जिला-देवास					
अनुक्रमिक	भूमिस्वामी/अभिगोपी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अभिव्यक्त क्षेत्रफल(हे.)	श्रेणी
1	शंकरलाल पिता गकुन्दराम	267	0.94	0.0020	
		285/1	0.85		
2	सतोप पिता कलीराम जाति कलोता	275	0.4	0.0003	
3	गब्बा पिता चन्द्रया जाति कलोता	270	0.42	0.0004	
4	कृष्णाबाई नि कलीराम मुकेश दिलीप गायत्रीबाई गीनाबाई पिता कलीराम	284	0.47	0.0004	
5	सत्यनारायण पिता रामनारायण	253	1.09	0.0060	
		88	3.3		
6	ब्रजेश पिता गजानन्द	255	3.64	0.0030	
7	बाबुलाल पिता नरू	225	1	0.0040	
		226	0.6		
		227	0.95		
8	माखन पिता मोतीलाल	229	0.7	0.0010	
9	सुगनाबाई पिता तेजराम	234	0.89	0.0010	
10	दिनेश पिता नरूलाल	240	1.58	0.0020	
		241	0.34		
11	रामनारायण पिता रूग्नाथ	243	0.61	0.0010	
12	नरूलाल पिता प्रहलाद	244	1.38	0.0030	
13	रामसिंह पिता ओंकार	191/1	0.4	0.0070	
		195	0.59		
		198	0.75		
		200/1	1.3		
		206	0.5		
		207	0.33		
14	अमरावतीबाई पति हेमसिंह	194/1	0.18	0.0005	
15	रामगोपाल पिता सालगराम	199/1	0.08	0.0030	
16	शंकरलाल पिता रूपराम	201/1	0.4	0.0060	
		22	3.73		
		204/3	0.56		
17	प्रेमनारायण पिता रूपराम	173	0.5	0.0080	
		174	0.3		
		175	0.49		
		176	2.48		
		204/2	0.56		
18	गोविन्द पिता रामनारायण	178	3	0.0030	
19	कैलाश पिता रामदीन	184	1.55	0.0114	
		185	2		
20	मोहनलाल पिता रामनारायण	155	4	0.0010	
21	मिश्रीलाल पिता रामनारायण	136	1.25	0.0230	
		127 (P)	1		
		128 (P)	2.92		
22	देवकरण पि. रामनारायण	137	1.65	0.0070	
23	किशनलाल सुरजसिंह पिता गंगाविसन	139	2.58	0.0130	
24	काशीबाई पति देवकरण जाति कलोता	140	2	0.0020	
25	चेनसिंह पिता मुलचंद	150	0.71	0.0020	
		152/1	0.86		
26	रामसूख पिता मूलचन्द	153	1.19	0.0010	
27	मुकेश पिता राधेश्याम	132	2.33	0.0050	
		133	2.5		

28	सीमाबाई पति रामचन्द्र	106	0.37	0 0020	
29	रमेश पिता रामप्रसाद	107	0.37	0 0050	
		111/1	0.76		
30	योगेन्द्र पिता बाबूलाल	111/2	0.76	0 0040	
		55	0.55		
31	राधेश्याम गोविंद पिता पन्नालाल	112	1.98	0.0060	
32	रामभरोस पिता मौजीराम	90	2.29	0.0050	
		6	1.11		
33	राजेश पिता हरनाथ	91	2.28	0.0040	
		92	2.28		
		7	0.76		
		92	2.88		
34	शेखर पिता हरीशंकर	92	2.88	0.0030	
35	मनोहर पिता रामसिंह	68	0.94	0.0010	
36	रामदेव पिता रामनारायण	50	1.64	0.0030	
37	कृष्णाबाई पति बाबूलाल	54	1.6	0.0020	
38	मुकेश पिता बाबुलाल	56	2.8	0.0100	
		58	1.37		
39	रेवारास पिता जगन्नाथ	17/1	0.93	0.0020	
		18/1	0.74		
40	रमेशचंद्र पिता जगन्नाथ	18/2	0.87	0.0010	
41	देवीसिंह पिता बद्रीप्रसाद	20	1.03	0.0030	
		33/2	0.09		
42	पुनम पिता रामगोपाल	21	1.81	0.0030	
43	अमरसिंह पिता मूलचन्द्र	30	1.9	0.0020	
		222/1	0.68		
44	रामेश्वर पिता हीरालाल	32	1.66	0.0132	
		33/1	1.56		
		33/2	0.09		
45	रामेश्वर पि. हरीशंकर	01-Aug	0.78	0.0020	
46	भवरसिंह पिता देवा	10	4.08	0.0030	
47	दावू पिता प्रताप	294	1.26	0.0040	
		300	0.64		
48	बलराम पिता प्रताप	298	1.27	0.0004	
49	बद्रीप्रसाद पिता रुपराम	204/1	0.16	0.0030	
			<b>Total</b>	<b>0.199</b>	

छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शारकीय भूमि की सारणी  
ग्राम आकावाल्या प.स.न. 70 तहसील खातेगांव, जिला-देवास

अनुक्रम क्र.	भूगिरजाधी/अधियाधी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अधियाधी क्षेत्रफल(हे.)	टिप्पणी
1	शारकीय	105	0	0.001	
			कुल	0.001	

प्र.क. 0036/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गुजरगांव प.ह.नं. 34 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क. 0036/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.413 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे

छीमा-नेर माइको उच्चतम सिंचाई पध्दती के अंतर्गत की जाने वाली अशासकीय भूमि की सारणी ग्राम-गुजरगांव प.ह.न.16 तहसील-छातोगांव जिला-देवास					
क्र.सं.	भूमे-वाणे-अणेवाणे का नाम	पता संख्या	कुल भू-फल(हे.)	अभियुक्त क्षेत्रफल(हे.)	टिप्पणी
1	रजनीश पिता लक्ष्मीनारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/1	0.77	0.007	
		9	1.75		
2	नरेन्द्रकुमार पिता कन्दाराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/1	3.8	0.008	
3	रेवाराम पिता छीतर जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामविलास पिता किसान जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	119(P)	0.784	0.002	
4	शिवराम पिता छोटुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129	3.4	0.002	
5	सतोबाई पति रामधर व रामधर पिता उमराव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	130	2.4	0.004	
6	बरजोरसिंह पिता मदनसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	173	1.3	0.016	
		174	0		
7	रामनाथसिंह पिता मदनसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी धनकुवरबाई पति ईश्वरसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175	2	0.011	
		176	1		
8	मुकेश पिता जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रितिक पिता राकेश अ पा क राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/1 TO 2/2 (P)	4.897	0.003	
9	लक्ष्मीनारायण पिता केदारनारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44	8	0.001	
10	कमलाकेशर पिता बाहरीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105	2.7	0.003	
11	केलाश पिता बिहारीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106 (P)	3.094	0.004	
12	गोरोशकर पिता जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	116	2.9	0.006	
13	चिंताबाई पति रेवाराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118	2	0.005	
14	मायाबाई पति पवन जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पवन पिता भुजराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भागवतीबाई पति हरिशचन्द्र जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120	1.2	0.004	
		123	2.6		
15	पवन पिता भुजराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मायाबाई पति पवन जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121	0.65	0.002	
		122	0.65		
16	खन राजेश पिता रामाधर जाति चमार भूमि स्वामी	131	2.86	0.004	
17	जगदीश पिता भेरा जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	132	1	0.005	
18	गोविन्द प्रसाद लखनलाल रामसेवक रामकिशोर सुधाबाई सिन्धुबाई कृष्णाबाई पिता श्रीराम जाति ब्रा पता निवासी	162	1.8	0.008	

	ग्राम भूमि स्वामी	163	15		
		160	09		
19	लोलाबाई पाते जगदीश जाति जाट पता निग्राम ग्राम भूमि स्वामी	164	2	0.01	
20	अभीलाष पिता भीनिवास जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी	188	1.8	0.004	
21	ब्रजेशकुमार पिता भीनिवास जाति ब्राह्मण पता निग्राम भूमि स्वामी	191	1.3	0.004	
22	भागवतसिंह पिता मदनसिंह जाति डाकूर पता निग्राम	193	2.08	0.011	
23	करणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सुरतसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199	2.08	0.003	
24	सुकुमाबाई वि माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम पिपलानानकर भूमि स्वामी नारायणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200	1.72	0.009	
25	कचरुलाल पिता गंगाराम जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी संतोष पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	201	1.72	0.015	
		202	1.55		
26	सताप पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामविलास पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	203	1.66	0.007	
27	बलराम पिता प्रताप जाति जाट पता निग्राम खातेगाव भूमि स्वामी	143	1.5	0.004	
28	विरेन्द्र पिता रामलाल जाति जाट पता निग्राम भूमि स्वामी	206	1.6	0.013	
		207	1.33		
29	गोताबाई पाते बलराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144	0.37	0.002	
30	अवधशकुमार पिता दशरथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145	3	0.011	
31	रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम	74	2.24	0.002	
32	उगरा पिता लक्ष्मण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रितु पिता नारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	1.55	0.009	
		76	3.17		
33	कृष्णाबाई पति नारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम	77	0.4	0.007	
		78	1.18		
34	अनसूयाबाई पती सूभाषचन्द्र जाति ब्राह्मण पता निग्राम भूमि स्वामी	95	0.99	0.001	
35	हरनारायण पिता रामोतार जाति विश्रोइ पता निग्राम	81	1.9	0.003	
36	नारायण पिता छीतर जाति जाट पता निग्राम	85	1.2	0.003	
37	इन्दरबाई पती हरनारायण जाति विश्रोइ पता निग्राम	93	1.1	0.002	
38	आनन्द पिता सुभाष जाति ब्राह्मण पता निग्राम	51	4	0.009	
39	सुभाषचन्द्र पिता श्रीप्रसाद जाति ब्रा पता निवासी ग्राम	52	4	0.004	
40	प्रेमनारायण पिता कूजीलाल जाति ब्राह्मण पता निग्राम	53	4.4	0.003	
41	गोविन्द पिता बीहारी जाति ब्राह्मण पता निग्रामलाल	10	3.4	0.004	
42	प्रभूलालकेलाशचन्द्र पिता इब्दू विन्तोष गायत्री पप्पी पिता गोविंद तुलसाबाई बेवा गो विन्द जाति गौड भूमि स्वामी	29	0.8	0.001	

43	शिवगण पिता मन्मथ पताक मृगनाथ पितापुत्राणा जाति जाट भूमि स्वामी	54/1/1	2.89	0.003	
44	मन्मथ पिता मोतीदा जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26	1.8	0.003	
45	मृगेश पिता रामलाल जाति जाट पता निग्राम	57/1	4	0.005	
46	शिवप्रसाद पिता रामलाल जाति ब्राह्मण पता निग्राम	67	4.6	0.003	
47	रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	73/1	2.6	0.001	
48	सुगताबाई पति महेश जाति जाट पता निवासी ग्राम	211	1.2	0.007	
		214	1.6		
		215	1.25		
49	जयकृष्ण पिता मदनलाल जाति ब्राह्मण पता निग्राम	212	0.9	0.002	
50	राजकिशोर पिता प्रेमराज जाति जाट पता निग्राम	218	1.8	0.001	
51	राजेश पिता जेलाश जाति जाट पता निवासी ग्राम	400	0.65	0.001	
52	महेश पिता हरीप्रसाद जाति जाट पता निग्राम भूमि स्वामी	401	2.2	0.005	
53	दीलीप पिता बलराम जाति जाट पता निग्राम	406	1.8	0.001	
54	प्रमबाई वि. बदी जाति जाट पता निग्राम भूमि स्वामी	395	1.6	0.008	
55	नर्मदाप्रसाद पिता सागराम जाति ब्राह्मण पता निग्राम भूमि स्वामी	375	1.5	0.007	
56	सुधोर पिता नर्मदाप्रसाद जाति ब्राह्मण	378	1.9	0.005	
57	विष्णुबाई पति रामभरोस जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386	2	0.026	
		387	1.8		
		385	3		
58	बलराम पिता हरीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम	414/1	3.19	0.021	
59	राहुल पिता उगरा जाति जाट पता निग्राम भूमि स्वामी	344	1.1	0.007	
		359	1.3		
60	गोविन्द पिता बदीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम	360/1	1.91	0.002	
61	रामभरोस बदीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम	384/1	3.3	0.005	
62	राजेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	266	2.4	0.003	
63	गुलाबचन्दरविशंकर पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता निग्राम भूमि स्वामी	291	2	0.003	
64	रामेश्वर पिता रामदीन जाति जाट पता निवासी ग्राम	292	2	0.006	
65	रेवाराम पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम	343	1.9	0.004	
66	लक्ष्मीबाई पति रेवाराम जाति जाट पता निग्राम	346	1.9	0.002	
67	कृष्णाबाई वि. द्वारकाप्रसाद जाति ब्राह्मण	251	3.5	0.002	
68	राहुल प्रियका दीपिका पिता उमाशंकर व मायाबाई बया उमाशंकर जाति ब्राह्मण पता निग्राम भूमि स्वामी	261(P)	2.547	0.001	
69	जगदीश पिता नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण पता निग्राम	264	0.8	0.003	
		265	1.5		
70	कलाश ओमप्रकाश नदनश महेश पिता नन्दाकशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ओमप्रकाश पिता नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी महेश पिता नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277	1.67	0.002	



71	विशाल पिता राकेश अ पा क राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	280	0.8	0.001	
72	सन्तोषीबाई पाते दीपचन्द संजय पिता दिपचन्द जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम	281	2.25	0.003	
73	राधेश्याम पिता बीहारीलाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम	287	1.9	0.007	
74	केवलराम पिता रामदीन जाति जाट पता नि.ग्राम	286(P)	1.23	0.002	
75	देवीलाल पिता रामदीन जाति जाट पता निवासी ग्राम	354	1.92	0.001	
76	मंगुसिंह पिता बलदेवसिंह जाति राजपूत पता निवासी पिपल्यानानकर भूमि स्वामी योगराजसिंह पिता मंगुसिंह जाति राजपूत पता निवासी पिपल्यानानकर भूमि स्वामी	365	2.02	0.014	
		366	0.59		
77	ममताकुवर बेवा अजयपालसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी श्रीपालसिंह पिता भवरसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम	373	1.11	0.001	
78	रामपालासिंह पिता भवरसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी सुगनकुवर पति जगन्नाथसिंह व कुवरपालसिंह पिता जगन्नाथ जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374	1.98	0.005	
					0.413

छीपागेर माइको सद्वहन सिचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शाराकीय मूमि की शारणी					
ग्राम-पूजगाम प.ह.न. अ तहरील-खातेगाम, जिला-देवास					
अनुक्रमांक	भूमिस्वामी / अभिवागी का नाम	संस्था कमांक	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल(हे.)	दिगर्णी
	निरंक				

प्र.क्र. 0038/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- खुबगांव प.ह.नं. 69 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क्र. 0038/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.130 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.003 हे



34	राधाकिशन पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर	204	3	0.0020
35	कमलसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर	205	2.6	0.0035
36	नलुबाई पिता बाबुलाल जाति गुर्जर	216	1.181	0.0010
37	देवलाल पिता रामप्रसाद जाति तेली	220	2.47	0.0001
38	राजेश गोविंद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर	193	5	0.0020
39	किरणबाई पति तुलसीराम जाति गुर्जर	191	2.79	0.0003
40	शंकरलाल पिता रूगनाथ जाति गुर्जर	190	0.33	0.0030
		189	0.25	
41	तुलसीराम पिता हरीराम जाति गुर्जर	187	6.38	0.0003
42	केवलराम पिता प्रहलाद जाति गुर्जर	48	1.7	0.0030
		49	1.28	
43	बलराम पिता केवलराम जाति गुर्जर	50	1.6	0.0030
44	हरिओम ओमप्रकाश पिता गणेशराम भागीरथ पिता देवा	55	2.06	0.0010
45	सुनिल पिता बलराम जाति गुर्जर	58	1.18	0.0010
46	ओमप्रकाश पिता गणेशराम जाति गुर्जर	59	1.15	0.0020
		57	0.12	
47	भोजोराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर	56	0.4	0.0002
48	केलाशचन्द्र पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण	62	1.6	0.0005
49	हरिओम पिता भवरासिंह जाति गुर्जर	60	2.35	0.0020
50	रामाकेशन, राधाकिशन, रमेश, महेश, पिता प्यारेलाल	22	0	0.0020
51	रामबगस पिता गंगाराम जाति गुर्जर	43	1.3	0.0019
		44	0.9	
52	रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर	45	1.54	0.0030
		38	0.26	
53	रामरूप पिता नन्दराम जाति गुर्जर	39	0.454	0.0000
54	रामप्रसाद पिता भगवान जाति गुर्जर	37	1.36	0.0020
55	मनाहरसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर	24	2.38	0.0005
			<b>Total</b>	<b>0.130</b>

छीपानेर गाइको उद्यहन सिचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शारकीय भूमि की सारणी ग्राम-खुनमान प.ह.न. 69 तहसील-खातेमान, जिला-देवास					
अनुक्रमांक	भूमिसायी/अभियागी का नाम	सारा कमाक	कुल शेअफल(हे.)	अभियहन शेअफल(हे.)	दियगी
1	शारकीय	234	0.00	0.0004	
2	शारकीय	142	0.00	0.0002	
3	शारकीय	101	0.00	0.0001	
4	शारकीय	295	0.00	0.0003	
5	शारकीय	214	1.300	0.002	
6	शारकीय	206	0.00	0.0005	
7	शारकीय	219	0.00	0.0001	
			<b>कुल</b>	<b>0.003 हे.</b>	

प्र.क्र. 0037/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- पिपल्यानानकर प.ह.नं. 66 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क्र. 0037/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.840 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.037 हे

छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अयासकीय भूमि की सारणी ग्राम-मालागाव प.ह.न.69 तहसील-खगतेगाव जिला-देवास				
S. No.	Name of Farmers	Khasara No	C.C.A.(Ha)	Area (Ha)
1	लोकेंद्रसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत	523	5	0.013
2	वसुबाई वि गोपालसिंह जाति ठाकुर	524	1.2	0.008
3	कृष्णपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत	526	2	0.012
4	रामसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	544	1.552	0.018
5	लक्ष्मणसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपुत	543	1.820	0.016
6	भारत सिंह लक्ष्मण सिंह पि गजराज	530	1.600	0.007
7	देवेन्द्र सिंह पिता भीमसिंह जाति राजपुत	533	0.4	0.020
		535	0.81	
8	रायसिंह पिता बहादुरसिंह जाति ठाकुर	537	1.6	0.006
9	शिवबाई पति रूपसिंह जाति राजपुत	575	1.47	0.007
10	नर्मदाप्रसाद पिता धुलजी जाति देशवाली	578	3	0.017
		591	1.950	
11	नवीन सचिन पिता माखनसिंह	580	3	0.004
		602	1	
12	कन्हैयालाल पिता धुलसिंह जाति देस	579	0.76	0.021
		601	4.9	
13	ओमप्रकाश पिता गबूलाल जाति देशवाली	600	1.960	0.011
14	रूपलता बाई पति मुकेश जाति देशवाली	598	2.350	0.008
15	दीपक पिता गबूलाल जाति देशवाली	596	1.820	0.018
16	सुरेंद्रसिंह पिता रणजोतसिंह जाति राजपुत	610	13.150	0.072
17	दिपेंद्रसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपुत	545	3.673	0.015
18	गजानन्द पिता नर्मदाप्रसाद जाति देस	571	1.600	0.001
19	रामचन्द्रबाई पति नर्मदाप्रसाद जाति देस	569	0.550	0.001
20	बहादुरसिंह पिता नारायणसिंह जाति ठाकुर	568	1.740	0.001
21	रुखमणीबाई पति जगदीश जाति देशवाली	595	2.020	0.004
22	डोंगरसिंह पिता छतरसिंह जाति राजपुत	633	3.240	0.006
23	हेमलताबाई पति गजराजसिंह जाति राजपुत	632	1.900	0.006
24	अर्जुनसिंह पिता श्यामसिंह जाति राजपुत	637	7.930	0.011
25	कृष्णपाल सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपुत	638	2.681	0.007
26	भवरबाई बसुबाई रुपकुरबाई रेशमबाई पिता गणपतसिंह	639	5.650	0.001
27	सोनुबाई पति शिवराजसिंह जाति राजपुत	654	6.490	0.012
28	अनार सिंह पि.विजय सिंह जाति सेन्धी	655	9.390	0.008
		656	2.610	
29	बलरामसिंह पिता शंकरसिंह जाति तोमर	445	2.339	0.005
		657	1.430	
30	भवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत	439	0.520	0.003
31	जगन्नाथसिंह पिता दोलतसिंह जाति ठाकुर	442	2.000	0.004
		440	1.65	
32	केलाश बाई वि. हरीसिंह जाति राजपुत	436	3.640	0.007
33	शंकरसिंह पिता अभयसिंह जाति ठाकुर	435	4.300	0.003
34	सुगनबाई पिता दुलसिंह जाति राजपुत	434	1.400	0.002
35	विक्रमसिंह पिता दुलसिंह जाति ठाकुर	431	3.200	0.002
36	कल्याण सिंह पि. हरिओम जाति ठाकुर	430	3.510	0.002
37	भूपेंद्रसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत	429	4.000	0.005
38	सुकरामसिंह पिता गिरवरसिंह जाति राजपुत	412	0.900	0.007
39	अजयपालसिंह पिता शिवनाथसिंह जाति राजपुत	422	6.000	0.003
		414	1.350	
40	महिपालसिंह पिता बलवतसिंह जाति राजपुत	421	2.510	0.001
41	महेन्द्रसिंह पिता सोदानसिंह जाति राजपुत			0.005

42	हरीअम पिता कांदाजी जाति ठाकुर	428	0.250	0.0008
43	हिन्दुसिंह पिता गिरवरसिंह जाति ठाकुर	427	0.800	0.0009
44	जगतपालसिंह पिता बलरामसिंह जाति राजपूत	681	1.200	0.0020
45	सपना पि भवर सिंह आशाबाई पि. भवर सिंह जाति राजपूत	444	3.600	0.0064
46	कचनारबाई पिता अतरसिंह जाति राजपूत	441	1.047	0.0005
47	घोड़रसिंह पिता आकारसिंह जाति राजपूत	446	4.000	0.0037
48	विजयसिंह पिता सादानीसिंह जाति राजपूत	392	5.310	0.0017
49	बनुबाई पाते भवरसिंह जाति राजपूत	636	1.171	0.0038
50	राजकुमार सिंह योग न्द सिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत	671	3.400	0.0080
51	गोविन्दसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत	672	2.534	0.0040
52	लाडासिंह पिता बाहदुरसिंह जाति राजपूत	674	1.9	0.0006
53	ममताबाई पाते लालसिंह जाति राजपूत	609	5.894	0.0095
54	विक्रमसिंह पिता हरीसिंह जाति राजपूत	615	4.000	0.0080
55	सुरन्दसिंह पिता कल्याणसिंह जाति ठाकुर	618	1.600	0.0080
56	अशाकसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	622	4.070	0.0130
57	गोविन्द सिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत	621	6.000	0.0103
58	विक्रमसिंह पिता भवानी सिंह जाति ठाकुर	643	1.260	0.0037
59	अरविन्दसिंह, अजयपालसिंह अकलश सिंह पि. कल्याणसिंह	645	5.000	0.0130
60	रमनाथसिंह पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत	452	3.81	0.0098
61	मंगुसिंहपि. दायासिंह, करणसिंह पिता भारतासिंह, जाति राजपूत	390	0	0.0080
62	मने हरसिंह, धनसिंह, पिता हेमसिंह अकेसिंह राजेन्द्रसिंह पि. गुलाबसिंह	379	2.000	0.0170
		387	8.4	
63	बलरामसिंह पिता रायासिंह जाति सन्धी	377	4.074	0.0015
64	जीवन सिंह पिता तकत सिंह जाति संधव	347	1.380	0.0030
		348	0.660	
65	सानाथसिंह पिता महताब सिंह	352	2.445	0.0068
66	महेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह रामसिंह पि. कमलसिंह	353	2.173	0.0170
67	गोविन्द पिता सुरजसिंह जाति गुजर	93	4.145	0.0010
68	प्रमलताबाई पाते रवीन्द्रसिंह जाति ठाकुर	355	0.610	0.0026
69	विरन्द्रसिंह बवाता कुवरबाई पिता रामपालसिंह	90	0.160	0.0050
70	लक्ष्मणसिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत	92	2.260	0.0052
71	रतनकुंवर पति विश्वनाथसिंह जाति राजपूत	86	0.000	0.0050
		78	0.780	
72	सुनील, अनिल पि. मोहनलाल	76	2.830	0.0035
73	अनुसुइयाबाई पाते भुजराम जाति जाट	75	1.950	0.0035
74	मनाहरसिंह, धनासिंह, पिता हेमसिंह	358	10.000	0.0061
75	लालसिंह पिता जीवनीसिंह जाति ठा.	360	2.970	0.0030
76	सजनीसिंह पिता तखतासिंह जाति संधो	361	2.394	0.0034
77	एलुबाई बंवा गुलाबासिंह जाति संधो	363	2.041	0.0035
78	नरेन्द्र सिंह पि. पर्वत सिंह जाति राजपूत	351	3.087	0.0035
		339	1.800	
79	भगवानसिंह पिता भवरसिंह जाति राज.	340	1.800	0.0029
80	रामवगस पि. भागीरथ जाति चमार	332	1	0.0003

विक्रम  
संख्या 0034  
तहसील  
जिला



81	सरजूबाई पिता हाखनासिंह जाति सेधो	385	1.5	0.002
82	लाडकुवरबाई पति गोरधनसिंह जाति राजपूत	308	2.183	0.007
		190/686	1.3	
83	रामोनेवास पिता पद्मलाल जाति गुजर	311	2.83	0.001
84	दातारसिंह पिता गिन्यासिंह जाति ठाकुर	623	1.62	0.001
85	दुगशसिंह पिता दातारसिंह जाति ठाकुर	624	1.6	0.001
86	नरेन्द्रसिंह पिता दातारसिंह जाति ठाकुर	625	1.52	0.001
87	बलराम पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	626	4.88	0.002
88	कन्हैयालाल पिता धुलसिंह जाति देस.	601	3.42	0.002
89	अमरसिंह भानसिंह तारामणीबाई अनसुइयाबाई पिता बानू लाल	603	3.7	0.004
90	मधुसूदास पिता मानसिंह जाति देशवाली	604	4.57	0.006
91	चिरांजीलाल पिता अमरसिंह जाति देस.	605	1.1	0.001
92	मानसिंह पिता बाबुलाल जाति देसवाली	606	0	0.002
		493	0.96	
93	नरेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत	491	6	0.002
94	अर्जातसिंह पिता नरेन्द्रसिंह जाति ठाकुर	607	3	0.001
95	भगवानसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत	531	3.37	0.004
96	बलवीरसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत	507	6.99	0.011
97	दुगशसिंह पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपूत	512	2.77	0.003
98	बादरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह पिता नैनासिंह जाति राजपूत	511	0.6	0.003
99	अनिलसिंह पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपूत	510	0.3	0.001
100	चतरकुवर पति गजराजसिंह जाति राजपूत	509	2.12	0.004
101	दिनेश नातू बाई रेखाबाई पि. नर्मदाप्रसाद	229	1.62	0.004
102	श्यामाबाई पति नर्मदाप्रसाद जाति राठोर	229/688	0.957	0.002
103	बालकृष्ण पिता ब्रदीलाल जाति देशवाली	231	7	0.009
104	अभिजीतसिंह पिता विक्रमसिंह	153	5.8	0.008
105	दरियावासिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत	157	5.22	0.008
106	अनुपबाई पिता हनवतसिंह जाति राजपूत	145	1.38	0.001
107	विनोद पिता भवरासिंह जाति देशवाली	144	2.59	0.007
108	हरिओम पिता मनोहरसिंह पारुबाई वेवा मनोहरसिंह जाति देशवाली	134	0.9	0.001
109	मनोहरसिंह पिता बहदुरसिंह जाति राजपूत	133	0.53	0.005
110	दीपचंद पिता घनश्याम जाति कलाल	126	0.8	0.001



111	फूलचंद पिता घनश्याम जाति कलाल	127	0.59	0.0024
112	गरीबा, राधेश्याम सुगनाबाई सलताबाई गुड्डीबाई पि. कल्लु जाति चमार	127/684	0.427	0.0008
113	करणसिंह पिता भारतसिंह जाति ठाकर	119	1.62	0.0020
114	कलाबाई पति अनोखीलाल जाति कलाल	120	1.733	0.0011
115	श्याम सिंह पि. पर्वत सिंह जाति राजपूत	115	2.4	0.0030
116	शरोसिंह पिता जवाहरसिंह जाति ठाकर	99	1.9	0.0030
117	अर्जुनसिंह मायाबाई पिता शंकरसिंह जाति राजपूत	100	4.9	0.0040
118	कृष्णपालसिंह पिता जीवनासिंह जाति ठाकर	135	1.8	0.0004
119	बलराम पिता भवरोसिंह जाति देशवाली	143	1.87	0.0009
120	राजेंद्रसिंह दिपासिंह पिता दरियावासिंह जाति राजपूत	142	0.2	0.0024
121	श्यामलाल पिता रतनलाल जाति देस.	234	3.15	0.0170
		229	1.62	
		216	3.97	
		211	0.15	
122	गोपालसिंह पिता मानासिंह जाति राज.	228	1.61	0.0017
123	कृष्णपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत	526	2	0.0100
		519	2.007	
124	घमंन्द्रसिंह, भुपेंद्रसिंह पिता गोपालसिंह जाति ठाकर	521	1.6	0.0044
125	रूपकुवरबाई पति भारतसिंह जाति राज.	204	1.5	0.0074
126	मंगुसिंह पिता दीपासिंह जाति राज.	205	5.8	0.0060
127	फुलासिंह पिता नाथुसिंह जाति देस.	207	1.6	0.0048
128	सीताराम पिता नाथुराम जाति देश.	208	3	0.0040
129	गायत्री बाई पति भगवतासिंह जाति देशवाली	222	2.75	0.0029
130	आशाराम पिता दिल्या जाति चमार	217	2.72	0.0120
131	धरमसिंह पिता श्यामलाल जाति देस.	218	2.51	0.0080
132	गोविन्द पिता गब्जी जाति देशवाली	155	3.62	0.0134
133	श्रीराम जानकी मींदर पुजारी रमेश पिता नर्मदाप्रसाद जाति ब्राह्मण	174	2	0.0079
134	केलाश पिता मनफुल जाति देश.	173	1.22	0.0059
135	रमेशचन्द्र पिता गब्जी जाति चमार	181	1.62	0.0020
136	शाताबाई उबेवा श्यामलाल जाति देशवाली	154	7.402	0.0034
137	भवरोसिंह गोविंदसिंह सुमनबाई निमलाबाई रमाबाई पिता गब्जीलाल	156	4	0.0030
138	गोविन्द पिता जगन्नाथ जाति देस	193	1.57	0.0060
			Total	0.840

छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम- खाला-खाला प.ह.नं. 66 तहसील-खातेगांव, जिला-देवास					
अनुक्रमांक	भूमिस्वामी/अभिजागी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल(हे.)	टिप्पणी
1	शासकीय	553	0.000	0.004	
2	शासकीय	577	0.000	0.003	
3	शासकीय	590	0.000	0.005	
4	शासकीय	590	0.000	0.000	
5	शासकीय	590	0.000	0.014	
6	शासकीय	590	0.000	0.001	
7	शासकीय	447	0.000	0.000	
8	शासकीय	447	0.000	0.000	
9	शासकीय	394	0.000	0.000	
10	शासकीय	349	0.480	0.003	
11	शासकीय	354	0.000	0.002	
12	शासकीय	328	0.000	0.001	
13	शासकीय	232	0.000	0.003	
14	शासकीय	221	0.000	0.000	
15	शासकीय	221	0.000	0.000	
			<b>कुल</b>	<b>0.037 हे.</b>	

प्र.क्र. 0039/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा। और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- **बुराड़ा** प.ह.नं. 65 तहसील खातेगांव जिला- देवास

प्र.क्र. 0039/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.286 हे. निजी भूमि एवं शासकीय रकबा 0.004 हे

छिन्नमण्डल माइजी उद्योग स्थापना के अंतर्गत की जाने वाली अध्यासकीय भूमि की सारणी नाम - २०२० न.सं. १००० तहसील-खातोणा जिला-देवास					
अनुक्रमांक	पुनिकर्ता/अधिकारी का नाम	पार्लर क्षेत्र	कुल क्षेत्र (हे.)	अध्यासकीय क्षेत्र (हे.)	शेयर
1	राधेश्याम पिरीतर जाति गुजर	254	4.87	0.001	
2	कृष्णबाई पिता काशोराम जाति गुजर	253	2	0.005	
		455	1.05		
3	प्रकाशचन्द पिता रामलाल जाति महाजन	252	0.711	0.005	
		409	1.144		
4	श्रीमन्मन्मथ पिता गणेशराम जाति गुर्जर	410	3.3	0.007	
5	हरिओम पिता भवरासिंह जाति गुजर	451	2	0.003	
6	भवरासिंह पिता देवाजी जाति गुजर	418	1.42	0.004	
7	रामप्यारीबाई पति हरिशचन्द्र जाति गुर्जर	447	0.9	0.002	
8	जयनारायण पि. रामचन्द्र जाति गुजर	446	1.671	0.002	
9	मनोहरासिंह पि. भागीरथ जाति गुजर	468	1.63	0.001	
10	महेश विष्णुप्रसाद जगदीशचन्द्र पिता नर्मदाप्रसाद	469	0.637	0.008	
		442	4		
11	शिवराम पि. रामप्रसाद जाति गुजर	470	1.6	0.005	
12	रामधर सोमा सतायी ज्योती पिता सेवाराम	471	1.6	0.007	
13	मोहन पि. रामप्रसाद जाति गुजर	467	1.64	0.005	
14	मोर्जाराम पिता भागीरथ जाति गुजर	465	3.093	0.007	
15	मदन पिता भीका जाति गुर्जर	458	1.32	0.005	
		460	1.181		
16	नरन्द्र उर्फ झिलश पिता बद्राप्रसाद जाति गुजर	456	1.64	0.002	
17	जयनारायण पि. रामचन्द्र जाति गुजर	454	4.14	0.003	
18	महेशचन्द्र पि. धरालाल जाति गुजर	464	4	0.004	
19	माराबाई पति रामनिवास जाति गुजर	462	0.8	0.001	
20	लखनलाल पिता परसराम जाति गुर्जर	440	1.77	0.005	
		439	1.15		
21	कमल पिता अमरासिंह जाति गुजर	438	3.38	0.001	
22	बलराम पिता श्रीकिशन जाति गुजर	221	3.4	0.009	
23	सुशीलाबाई पिता रामरुप जाति गुजर	217	1.4	0.013	
24	दीपक पिता रामनारायण जाति गुर्जर	205	0.85	0.008	
		199	0.9		
25	देवाकिशन पिता गब्बी जाति गुर्जर	206	0.526	0.004	
26	गंगाराम पिता पूनाजी जाति गुजर	207	0.878	0.008	
27	रामरुप पिता परसराम जाति गुजर	203	2.61	0.007	
28	भगवानसिंह पि. हजरीलाल जाति गुजर	145	4.5	0.012	
		195	0.44		
		194	0		
29	हराकिशन पिता बल्देव जाति गुजर	144	3.07	0.011	
30	रामदास पि. हराकिशन जाति गुजर	143	1	0.003	

31	लीमा पिता श्रीकिशन जाति गुर्जर	142	0.02	0.004	
		104	1.66		
32	शंकरलाल पि शिवचरण जाति वाडी	127	0.6	0.007	
		129	1.49		
33	विजयसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	125	0.602	0.004	
		122	0.21		
34	जभनाप्रसाद उर्फ मोहनसिंह पि.मोतीलाल	124	0.7	0.001	
35	शिवनारायण . सुशीला, अनुसुईया, रेखा पिता रुग्नाथ	119	0.73	0.003	
36	रामकिशन पि शिवलाल जाति गुजर	118	1.29	0.008	
		117	0.81		
		116	0.91		
		115	0.2		
37	कैलाश पि भागीरथ जाति गुजर	112	1	0.002	
38	कृष्णाबाई हरिप्रसाद जाति गुर्जर	111	0.9	0.002	
		110	1.6		
39	गोविन्दप्रसाद पि.लक्ष्मीनारायण जाति सुतार	109	0.2	0.001	
40	मुरारोलाल पिता हरिप्रसाद जाति गुर्जर	17	1.6	0.002	
41	देवीसिंह पिता रामचंद्र जाति गुर्जर	92	0.318	0.003	
42	पवन पिता हरिओम	89	1.6	0.003	
43	तुलाराम पिता देवा जाति गुजर	88	1.74	0.001	
44	भरत गावेंद पि. रामदेव रेवाबाई पिता रामदेव	87	1.69	0.004	
45	राधेश्याम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	244	1.16	0.003	
		245	1		
46	लक्ष्मीबाई पति. रामचन्द्र जाति गुजर	246	2.03	0.003	
47	रजनीबाई पति.संतोष कुमार जाति गुजर	248	2	0.001	
48	ओमप्रकाश रामरूप जाति गुजर	216	5	0.005	
49	राजेश पिता बलराम जाति गुर्जर	215	4.5	0.001	
50	रामनारायण पि.हरबगस जाति गुजर	228	2	0.005	
51	नर्मदाबाई पति अमरदास जाति गुर्जर	200	2.22	0.003	
52	लक्ष्मीबाई पिता परसराम रामबाई वि परसराम जाति गुर्जर	204	1.8	0.001	
53	गोविन्दसिंह पि.हजारीलाल जाति गुजर	193	1.8	0.002	
54	गोविंद पिता सीताराम जाति गुर्जर	149	0	0.001	
55	मोहनसिंह पिता मोतीलाल जाति गुर्जर गुरूप्रसाद दापक सुमनबाई पिता	140	1.46	0.006	
56	रामचन्द्र लक्ष्मीबाई बेवा रामचन्द्र जाति गुजर	139	2.51	0.005	
57	पवन पिता रामरूप जाति गुजर	136	1.63	0.003	
58	रामरूपपिता नंदराम जाति गुजर	135	1.5	0.002	
59	संतोष कुमार पि.राधेश्याम जाति गुजर	134	0.9	0.003	
		160	1		
60	शिवनारायण पिता रुग्नाथ जाति गुर्जर	158	1	0.002	
61	शिवनारायण पिता रुग्नाथ	161	0.6	0.001	

62	रेवाशंकर, कैलाश, महेश पिता रामप्रसाद	185	1.84	0.005	
63	भाका रामोतार रामनिवास कमलाबाई सलीताबाई लीलाबाई पिता कन्हैया जाति गुर्जर	186	1.67	0.002	
64	पदम सिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	187	2.18	0.004	
65	मनोहरसिंह पि. रामप्रसाद जाति गुर्जर	188	5.13	0.002	
66	रामदयाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर	169	4.16	0.002	
67	हरीसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर	181	2	0.005	
68	रामसरूपबाई पि. बोंदर जाति गुर्जर	177	3.75	0.010	
69	कृष्णकान्त पिता राधाकिशन जाति गुर्जर	176	0.06	0.006	
		172	1.479		
		175	0.2		
			Total	0.286	

छीपानेर माइको उदयहन सिंगाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम-नुराड़ा प.ह.न. 30 तहसील-खातोगांव, जिला-देवास					
अनुक्रमांक	भूमिस्वामी/अभियोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल(हे.)	टिप्पणी
1	शासकीय	146	0.000	0.001	
2	शासकीय	141	0.000	0.001	
3	शासकीय	113	0.000	0.000	
4	शासकीय	113	0.000	0.0004	
5	शासकीय	78	0.000	0.0001	
6	शासकीय	141	0.000	0.0003	
7	शासकीय	298	0.000	0.001	निज भूमि
			कुल	0.004 हे.	

त्रिलोचन सिंह गौर, सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 33-भू-अर्जन-2022

मंडला, दिनांक 11 मार्च 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा "धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि का उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

**1. भूमि का वर्णन**

क. जिला - मंडला  
ख. तहसील - नैनपुर  
ग. ग्राम/नगर -

स.क	ग्राम एवं प.ह.नं.	अर्जित किये जाने वाला भूमि का क्षेत्रफल
1	नैनपुर प.ह.नं. 33 ब.नं. 756	0.24 (हेक्ट)
	कुल योग -	0.24 (हेक्ट)

**अर्जित किये जाने वाला निजी भूमि का रकबा**

स.क	खसरा नं.	अर्जित रकबा
1	492/2	0.24 (हेक्ट)
	कुल योग -	0.24 (हेक्ट)

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिवनी-चिरईडोंगरी राज्य मार्ग के कि.मी.75/2 में थावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँचमार्ग के निर्माण हेतु।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नैनपुर जिला मंडला में आक्षेप यदि कोई हो तो दर्ज किया जा सकता है।

- भूमि का विस्तृत परियोजना एवं नक्शा साईट प्लान प्रतिवेदन (detail project report) DPR का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नैनपुर जिला मंडला कार्यालय कार्यालयन यंत्रा लो.नि. वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर जिला जबलपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग-सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 56-अ-82-वर्ष 20-21-कान्हाबधोली-4510

बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2022

### घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची-1 ( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	कान्हाबधोली	0.115 हे०	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

#### अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में से
1	2	3	4	5
1	कस्तुरी बेवा रामासिंह जाति राजपूत सा०देह भूमि स्वामी	150/1	0.733	0.115
योग		1	0.733	0.115

(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 09-अ-82-वर्ष 20-21-मांडवी-5093

बैतूल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**  
( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	आठनेर	मांडवी	0.036 हे०	सातनेर से मांडवी मार्ग के कि०मी० 16/2 पर पुल निर्माण

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० हे० में
1	2	3	4	5
1	नरायण पुत्र तुलसीराम जाति बढाई निवासी मांडवी	724/1/2	0.005	0.036
2	फुलवंती बेवा हीरालाल, गोपाल पुत्र हीरालाल, रमेश पुत्र हीरालाल, प्रमिला पुत्री हीरालाल, ललिता पुत्री हीरालाल जाति बढाई निवासी मांडवी	724/1/1	0.225	
<b>योग</b>		<b>2</b>	<b>0.450</b>	<b>0.036</b>

(2) चूंकि सातनेर से मांडवी मार्ग के कि०मी० 0 16/2 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [WWW.betul.nic.in](http://WWW.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



क्रमांक 10-अ-82-वर्ष 20-21-उमरी-5095

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**  
( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	उमरी	0.362 हे०	सातनेर से माडवी मार्ग के कि०मी० 3/6 पर पुल निर्माण

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० हे० में
1	2	3	4	5
1	मैनेजिंग विद्या मंदिर कमेटी सा० बैतूल	104 108	6.924	0.132
2	संजय पुत्र बाबूराव जाति कुन्बी	141/4	1.695	0.065
3	मैनेजिंग विद्या मंदिर कमेटी सा० बैतूल	102/1	0.328	0.165
<b>योग</b>		<b>04</b>	<b>8.947</b>	<b>0.362</b>

(2) चूंकि सातनेर से माडवी मार्ग के कि०मी० 3/6 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 11-अ-82-वर्ष 20-21-अक्कलवाडी-5091

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची-1**  
( प्रभावित कृषको की सूची )

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	अक्कलवाडी	0.032 हे०	सातनेर से मांडवी मार्ग के कि०मी० 7/6 पर पुल निर्माण

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० हे० में
1	2	3	4	5
1	चन्द्रवती पत्नि नत्थु जाति किराड निवासी बैतूल	194/6	0.583	0.008
2	बंशीलाल पुत्र गनपत जाति किराड निवासी बैतूल	195/1	0.793	0.008
3	बिरज पुत्र गनपत जाति किराड निवासी बैतूल	229/4	0.250	0.008
4	तानी बेवा नानकराम , सुखदेव पुत्र नानकराम, रामदास पुत्र नानकराम, सरवन पुत्र नानकराम, हरिश पुत्र नानकराम, संतोष पुत्र नानकराम, जगन पुत्र नानकराम, रामनरेश पुत्र नानकराम, मेसो पुत्री नानकराम, गंगा पुत्री नानकराम, गोदावरी पुत्री नानकराम, रूपा बेवा गोविंदा जाति किराड निवासी बैतूल	200/1	2.699	0.008
<b>योग</b>		<b>04</b>	<b>4.325</b>	<b>0.032</b>

(2) चूंकि सातनेर से मांडवी मार्ग के कि०मी० 07/6 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [WWW.betul.nic.in](http://WWW.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 94-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2516

सागर, दिनांक 5 अप्रैल 2022

मौजा सिलौघा प0ह0नं0 32 तहसील खुरई

( देखिये धारा-19 एवं 21 )

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्ब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) परियोजना का नाम         | बीना से कटनी रेल्वे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण           |  |
| 1. जिला                     | सागर   |
| 2. तहसील                    | खुरई   |
| 3. ग्राम                    | सिलौघा   |
| 4. प0ह0नं0                  | 32   |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 04.108 हैक्टर                                  |

स0 क0	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा हैक्टर में	अर्जित भूमि ( रकवा हैक्टर में )			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी	भूमिस्वामी	177	1.170	0.038	-	-	-
2	जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह , अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी सा0देह	भूमिस्वामी	178	1.150	-	0.045	-	-
3	शेरसींग पिता लालसींग सा0 देह	भूमिस्वामी	179	1.750	-	0.086	-	-
4	ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम सा0 खुरई 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , अमरावती बेवा रामनाथसिंह पता खुरई 1/5 भाग	भूमिस्वामी	181	1.500	0.143	-	-	-
5	पलक पिता सुनील कुमार जैन पता सिलौघा	भूमिस्वामी	182/1	0.600	-	0.138	-	-
6	पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सिलौघा	भूमिस्वामी	182/2	0.180	-	0.043	-	-

7	कुंजनसिंग , करनसिंग , प्रहलादसिंग पिता जुझासिंह सा0देह	भूमिस्वामी	183/1	0.330	0.071	-	-	-
8	माखनसिंग पिता काशीराम , जगपाल , राजपाल ,कृष्णपाल पिता माखनसिंह सा0 देह	भूमिस्वामी	183/2	0.330	-	0.071	-	-
9	ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा0देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5भाग, अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग	भूमिस्वामी	184	0.480	0.119	-	-	रेंजा-2 बेरी-1
10	ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा0देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग	भूमिस्वामी	188	3.520	0.260	-	-	-
11	ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा0देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग	भूमिस्वामी	189	2.260	0.344	-	-	ऊमर-1
12	राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग , ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकांता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग , अनिकेत नावालिंग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा 1/6 भाग	भूमिस्वामी	190/1	1.640	-	0.233	-	-
13	राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग , ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकांता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग , अनिकेत नावालिंग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा 1/6भाग	भूमिस्वामी	191/1	0.780	-	0.098	-	-
14	जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता सा0देह	भूमिस्वामी	190/2	0.270	-	0.047	-	-
15	जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता सा0देह	भूमिस्वामी	191/2	0.130	-	0.014	-	-
16	राजकुमारी बेवा फूलसिंह 1/6 भाग चन्द्रभान	भूमिस्वामी	197	1.060	0.151	-	-	-

	पिता फूलसिंह 1/6 भाग राजेन्द्र पिता फूलसिंह 1/6 भाग संतोष पिता फूलसिंह 1/6 भाग शकुन पुत्री फूलसिंह 1/6 भाग , नेहा बेवा महेन्द्रसिंह 1/18 भाग शुभम नावालिंग पिता महेन्द्रसिंह संरक्षक नेहा बेवा महेन्द्रसिंह 1/18 भाग कंचन नावालिंग पुत्री महेन्द्रसिंह संरक्षक मां नेहा 1/18 भाग							
17	राजेशकुमार पिता वासुदेव पता सा0देह	भूमिस्वामी	198	0.440		0.048	-	-
18	गुलाबसिंग पिता हरप्रसाद पता सा0देह	भूमिस्वामी	236	2.770	-	0.195	-	-
19	विनोदकुमार पिता आशाराम राठौर सा0 बदरावठा	भूमिस्वामी	237/1/1	1.200	0.390	-	-	कुआ पक्का-1
20	रामकृष्ण पिता रामसिंग पता सा0देह	भूमिस्वामी	238	1.630	0.275	-	-	-
21	वीरसिंग पिता रतनसिंग पता सागर	भूमिस्वामी	242	1.080	0.288	-	-	-
22	परताप पिता गंधर्व पता सा0देह	भूमिस्वामी	243	0.470	-	0.251	-	-
23	ताहरसिंग पिता नारायणसिंग पता सा0देह	भूमिस्वामी	246	3.830	0.760	-	-	बमूरा-2
			23	28.570	2.839	1.269	-	

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार /कुटुम्ब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(4) अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुर्दई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/05/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(5) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुर्दई जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-11 पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 0001-अ-82-2021-22-173

रायसेन, दिनांक 13 अप्रैल 2022

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुरा	मोहड़ कला एवं केतोघान	0.368	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल	लोक निर्माण विभाग द्वारा खांड नदी पर पुल (सेतु) निर्माण हेतु

#### अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

मोहड़ कला एवं केतोघान मार्ग पर खांड नदी पर पुल (सेतु) निर्माण हेतु।				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मुल्लो बाई वि. चेताराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	416	1.218	0.190
2	किशोर सिंह आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	199/1/2	2.834	0.038
3	रमेश कुमार आ. रतिराम जाति लोधी नि.ग्राम भू स्वामी	199/2	2.241	0.140
कुल योग-		03		0.368

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 मार्च 2022

### सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

प्रकरण क्रमांक-0008/अ-82/2021-22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कांडला-गोरखपुर पेट्रोलियम उत्पाद (एल.पी.जी.) पाईल लाईन के लिए एस.वी. स्टेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु ग्राम नवापाडा नवीन तहसील व जिला झाबुआ के निजी खाता धारको की निजी भूमि म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लम भवन भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ12-2/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12.12.2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

निम्नलिखित भूमि के किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अविध पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची (01)								
ग्राम - नवापाडा नवीन			तहसील झाबुआ					
सं.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)						
		सिंचित	अंसिंचित	कुल रकबा				
1	निजी भूमि	0.250	0.000	0.250				
अनुसूची (02)								
क.सं.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	कुल भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		सर्वे नं0.	सिंचित	अंसिंचित	कुल रकबा	सिंचित	अंसिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती वाली पति मानसिंह निवासी ग्राम नवापाडा नवीन	474	0.300	0.000	0.300	0.250	0.000	0.250
	योग		0.300	0.000	0.300	0.250	0.000	0.250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 1 अप्रैल 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4 एवं 07

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 03.04.2021 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि एलायमेंट में विसंगति होने एवं संबंधित विभागों से परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 19 के पश्चात अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है। अतः समयावधि में एवार्ड पारित न होने के कारण 01 वर्ष की समय वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा (म0प्र0 राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

## (1) भूमि का वर्णन :-

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
<b>उपखण्ड गोपद बनास</b>					
1	सिरसी	1.146	03.04.2021	02.04.2022	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है। धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
2	विसुनीटोला	1.837	03.04.2021	02.04.2022	
3	महराजपुर	2.173	03.04.2020	02.04.2022	
4	सतनरा कोठार	0.557	03.04.2020	02.04.2022	
5	सतनरा पवाई	0.278	03.04.2020	02.04.2022	
6	बहेरा पश्चिम	0.394	03.04.2020	02.04.2022	

7.	हड़बड़ी	1.096	03.04.2020	02.04.2022
8	जोरीघा	0.196	03.04.2020	02.04.2022
9.	पड़खुरी	0.056	03.04.2020	02.04.2022
10.	डाड़ी	0.776	03.04.2020	02.04.2022

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सीधी-सिरसी मार्ग के निमाण हेतु।

3. भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन-उपखण्ड अधिकारी कार्यालय गोपदबनास जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्हमान खान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र.-0001-अ-82-2021-202

श्योपुर, दिनांक 24 मार्च 2022

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुर कलॉ रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम तेलीपुरा प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.060 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम तेलीपुरा प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		
क. जिला	—	श्योपुर
ख. तहसील	—	वीरपुर
ग. ग्राम	—	तेलीपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	—	0.060

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

स. क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	4/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.030	रामप्रकाश पुत्र लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2	5/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.030	ललपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल किता 02				0.060	

5. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।

6. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

7. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

8. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र.-0002-अ-82-2021-202-192

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुर कलॉ रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम जाखेर प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.297 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		
क. जिला	—	श्योपुर
ख. तहसील	—	वीरपुर
ग. ग्राम	—	जाखेर
घ. लगभग क्षेत्रफल	—	0.297

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

स. क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	350/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.104	बैरबल, जगदीश, रामनरेश पुत्रगण बंदी दुलारी पुत्री बंदी जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी 1/4 समान भाग लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन हिस्सा 1/2 निवासी तेलीपुरा रामनाथ प्रहलाद पुत्रगण रघुनंदन रामनाथी श्रीबाई पुत्रियां रघुनंदन मथरों पत्नि रघुनंदन हिस्सा 1/4 जाति रावत भू राजस्व 0.93
2	352/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.090	धर्मवीर देवीसिंह पुत्रगण रामचरण, धर्मबाई, रूबी पुत्रियां रामचरण जाति रावत निवासी तेलीपुरा हिस्सा 60/196 समान भाग भूमिस्वामी उम्मेद पुत्र इंदर कलावती पत्नि ल्होवा जाति रावत हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी रमेश, महेश, पुत्रगण जीवनलाल हिस्सा 38/196 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.86

3	354/1	भूमिस्वामी	वृषिभूमि	0.080	नरेश गोरे लालाराम भरोषी दिनेश पुत्रगण लख्मी, रुमाली पुत्री लख्मी कौशा पत्नि लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम हिस्सा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.49
4	355/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.023	रामनाथ, किशोर, रामदयाल, विनोद, पुत्रगण चिम्मन रामपति रामेश्वरी, नरेशी पुत्रियां चिम्मन कला पत्नि चिम्मन हिस्सा 1/5 करन पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 भूमिस्वामी धप्पो पत्नि कुंदन शिवचरण श्रीपाल 1/5 भूमिस्वामी धप्पो पत्नि कुंदन शिवचरण श्रीपाल गजराज पुत्रगण कुंदन सुआबाई गुड्डी पुत्रियां कुंदन जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी नीवो पुत्री सामलिया जाति जाटव तेलीपुरा हिस्सा 1/5 हरहेत, श्रीलाल, पापू हल्के पुत्रगण फुल्ली द्रोपति पुत्री फुल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम बरोली हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.11

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र.-0003-अ-82-2021-202

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुर कलॉ रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम श्यारदा प.ह.नं. 23 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 01 तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.346 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.ह.नं. 23 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		
क. जिला	—	श्योपुर
ख. तहसील	—	वीरपुर
ग. ग्राम	—	श्यारदा
घ. लगभग क्षेत्रफल	—	1.346

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

स. क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	737/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.381	मनीषा पत्नि रामकुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम 43/85 भाग भूमिस्वामी मुन्नालाल पुत्र लटूर जाति वैश्य निवासी 42/85 भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 4.00
2	739/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.178	गीता देवी पत्नि अशोक कुमार जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू.आ. 1.18
3	741/2/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.170	अफताव पुत्र निसार जाति मुसलमान निवासी ग्राम वीरपुर हिस्सा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 1.07
4	743/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.197	रिंकू पुत्र मुन्नालाल जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 3.00
5	758/1	शासकीय पट्टे से भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	शंकरलाल पुत्र गुल्ला उम्मेदी पुत्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम भूरा 3.00
	<b>कुल किता 5</b>			<b>1.346</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

(देखिये धारा 11)

प्र. क्र.-103 अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-1579

सागर, दिनांक 4 मार्च 2022

मौजा इटावा पट. ह. नं.-51 तहसील बीना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-11 रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नई बड़ी लाईन परियोजना निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

परियोजना का नाम

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन  
परियोजनांतर्गत

भूमि का विवरण:-

1. जिला	सागर
2. तहसील	बीना
3. ग्राम	इटावा
4. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	2.809 हे.

::अनुसूची-1::

क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टेयर में	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	127/5	भूमि स्वामी	कृषि	0.748	0.023	रजनीश पिता मुन्नालाल जाति काछी पता सा कटरावाड बीना भूमिस्वामी
2	130/3	भूमि स्वामी	कृषि	2.776	0.475	कुन्दनलाल पिता वारेलाल पता सा देह भूमि स्वामी
3	131/1/1	भूमि स्वामी	कृषि	1.518	0.152	मुह अकरम पिता मुह हनीफ पता सा देह बीना भूमि स्वामी
4	131/1/2	भूमि स्वामी	कृषि	1.398		मुहम्मद इरफान पिता मुहम्मद हनीफ जाति कुरैशी पता गंजबासौदा भूमि स्वामी 9980/13980 हिस्सा, अकरम पिता हनीफ कुरैशी पता चंद्रशेखर वाड बीना 0.40 हेक्टे. सागर मध्यप्रदेश भूदानधारी 4000/13980 हिस्सा
5	132/3/1	भूमि स्वामी	कृषि	5.626	0.162	आजाद मुहम्मद पिता वली मुहम्मद पता सा. देह भूमि स्वामी
6	132/3/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.849		राशिद शाहिद पिता रहीस आसिमा खुशबू जरीनाखान फरीदाबेगम पिता रहीस फातिमा बेवा रहीस पता सा. देह बीना भूमि स्वामी
7	144/1/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.504	0.176	मुह. युसुफ मुह. आरिफ मुह. कलीम पिता सलीम पता सा देह भूमि स्वामी

8	147/1/1	भूमि स्वामी	कृषि	1.195	0.047	मुह. युसुफ पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी
9	147/1/2	भूमि स्वामी	कृषि	1.196	0.067	मुह आरिफ पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी
10	147/1/3	भूमि स्वामी	कृषि	1.196	0.067	मुह कलीम पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी
11	147/4	भूमि स्वामी	कृषि	2.023	0.081	मुहम्मद आरिफ पिता मुह. सलीम पता सा देह भूमि स्वामी
12	147/5	भूमि स्वामी	कृषि	2.023	0.072	मुहम्मद कलीम पिता मुह. सलीम पता सा. देह भूमि स्वामी
13	147/6	भूमि स्वामी	कृषि	1.890	0.217	मुह0 जाहिद पिता युनिस पता सा. देह भूमि स्वामी
14	435/4	भूमि स्वामी	कृषि	8.094	0.078	राकेश कुमार पिता राजकुमार जाति सिंघई पता कटरा वार्ड बीना सागर भूमि स्वामी
15	435/5/3	भूमि स्वामी	कृषि	1.620	0.183	चन्द्राबाई पुत्री धन्यकुमार पता सा देह भूमि स्वामी
16	436/2	भूमि स्वामी	कृषि	8.500	0.189	रश्मि पिता राजकुमार पता सा देह बीना भूमि स्वामी
17	437/2	भूमि स्वामी	कृषि	1.283	0.201	वल्देव पिता तुलसी हरिओम प्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देव भूमि स्वामी
18	437/5	भूमि स्वामी	कृषि	0.101		हरिओमप्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देवसिंह जाति यादव पता सुभाष वार्ड सागर म.प्र. भूमि स्वामी
19 20	438/1 438/10	भूमि स्वामी	कृषि	0.500	0.348	नंदकिशोर पिता वल्देव प्रसाद यादव पता सा सुभाष वार्ड बीना भूमि स्वामी
21	438/11	भूमि स्वामी	कृषि	0.499		विनोदकुमार पिस. महेशचन्द्र राय पता सा. वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि स्वामी
22	448/1	भूमि स्वामी	कृषि	2.275	0.196	कुवरबाई बेवा दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा, बादलसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा, रूपसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा
23 24	449/1/1 450/1/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.380	0.075	वृजकुंवर पत्नि देवीसिंह ठाकुर पता निवासी खिरियावार्ड बीना भूमि स्वामी
कुल 24 सर्वे नंबर				46.194 हे.	2.809 हे.	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3.10.14 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना, समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-।। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।



प्र. क्र.-105 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2168

सागर, दिनांक 25 मार्च 2022

मौजा कलरावनी पट. ह. नं.-42 तहसील बीना

## (देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बीना
  3. ग्राम : कलरावनी
  4. पट.ह.नं.- : 42
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.346 हैक्टे.

## :: अनुसूची ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	प्रभुदयाल पिता दीनानाथ साकिन देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	8.050	0.346	0.00	0.00	निरंक
योग			01	8.050	0.346	0.00	0.00	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-104 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2169

मौजा मनरु पट. ह. नं.-42 तहसील बीना

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बीना
3. ग्राम : मनरु
4. पट.ह.नं.- : 42
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.598 हेक्टे.

:: अनुसूची ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	कृष्णगोपाल प्रभुदयाल उमाशंकर आत्माराम बलराम उदयभान पिता दीनानाथ गीता माया पुत्री दीनानाथ प्रभाशंकर राकेश सुरेश पिता केदारनाथ विमला सावित्री किरन भुवनेश्वरी पुत्री केदारनाथ राधाबाई वेवा केदारनाथ साकिन कलरावनी	भूमि स्वामी	134	2.240	0.370	0.00	0.00	01 नीम का वृक्ष
2	सुमरन पिता गणेश साकिन देहरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135	2.890	0.228	0.00	0.00	08 बेरी के वृक्ष
योग			02	5.130	0.598	0.00	0.00	09 वृक्ष

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-101 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2695

सागर, दिनांक 12 अप्रैल 2022

मौजा देहरी पट. ह. नं.-35 तहसील बीना

## (देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बीना
  3. ग्राम : देहरी
  4. पट.ह.नं.- : 35
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.010 हैक्टे.

## :: अनुसूची ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	कोमलसिंह पिता खूबसिंह साकिन देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	769	0.990	0.010	0.00	0.00	05 बबूल के वृक्ष
योग			01	0.990	0.010	0.00	0.00	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 14/05/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता-11 रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-106 अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2694

मौजा निवोदा पट. ह. नं.-21 तहसील बीना

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

- (1) परियोजना का नाम : बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण योजनांतर्गत
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बीना
  3. ग्राम : निवोदा
  4. पट.ह.नं.- : 21
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.200 हेक्टे.

:: अनुसूची ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	हरप्रसाद पिता मुन्ना सा. आगासौद	भूमि स्वामी	57/1	1.300	0.12	0.00	0.00	निरंक
2	राजकुमार पिता नाथूराम उर्फ भगोना उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम आगासौद भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	57/2	1.300	0.08	0.00	0.00	01 बोर
योग			02	2.600	0.200	0.00	0.00	01 बोर

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/05/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता-11 रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 984-भू-अर्जन-2022

बरेली, दिनांक 6 अप्रैल 2022

प्रकरण क्रमांक 0002/भू-अर्जन/2021-22 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम -उडदमऊ

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
01	उडदमऊ	कीर्तिनंदन आ. हल्केवीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भू स्वामी	292/2/2	0.809	0.150	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल	लो.नि.विभाग द्वारा ग्राम सोजनी छींद से उडदमऊ इमझिरी मार्ग में नाले पर पुल मय पहुच मार्ग निर्माण हेतु
02	उडदमऊ	द्वारका प्रसाद आ. बालमुकुन्द जाति राय निवासी ग्राम भू स्वामी	354/1	2.859	0.150		
03	उडदमऊ	रम्मूलाल, शंकरलाल, भगवान सिंह, मानसिंह, रामस्वरूप, राजेश, परषोत्तम आ. भैयालाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	350	0.040	0.040		
04	उडदमऊ	रम्मूलाल, शंकरलाल, भगवान सिंह, मानसिंह, रामस्वरूप, राजेश, परषोत्तम आ. भैयालाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	348	1.724	0.030		
05	उडदमऊ	रामदयाल आ. शिवराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	295	0.565	0.130		
06	उडदमऊ	रामदयाल आ. शिवराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	341/1	1.198	0.050		

प्रमोद सिंह गुर्जर, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बैराज-3020-3010

मुरैना, दिनांक 29 मार्च 2022

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपटित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बैराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम- चन्द्रपुरा, प0ह0क्र0 122 रा0नि0वृत- तहसील- जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला- मुरैना में कुल 4.68 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-चन्द्रपुरा प0ह0क्र. 122 राजस्व वृत- तहसील-जौरा, उपखण्ड -जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
    - क. जिला- मुरैना
    - ख. तहसील- जौरा
    - ग. ग्राम- चन्द्रपुरा
    - घ. लगभग क्षेत्रफल 4.68 हे0
- भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	439	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.03	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
2.	442	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.23	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					भूमिस्वामी
3.	443	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.17	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4.	445	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.39	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
5.	447	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.24	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
6.	448	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.16	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
7.	449	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.12	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
8.	454	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	बाबूसिंह पुत्र पंछी सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा
9.	447/772	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.27	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा.

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
10.	496/773	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.18	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
11.	448/774	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.23	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
12.	454/775	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.11	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गूठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
13.	474	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.17	रघुवीर पुत्र रामजीलाल जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
14.	475	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.34	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
15.	476	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.38	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
16.	477	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.40	पूरन सिंह पुत्र कदम सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा



स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अमिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					भूमिस्वामी
17.	495	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.16	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
18.	496/776	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.01	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मजीबुरहमान खान, उपसचिव.
19.	497	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.30	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
20.	493	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.47	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	कुल किता 20			4.68 हे०	

1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2022

क्र. A-1596-दो-2-2-2022.—श्रीमती ममता जैन, Member Secretary (S.C.M.S.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2022 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अप्रैल 2022 से दिनांक 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, Member Secretary (S.C.M.S.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाती तो Member Secretary (S.C.M.S.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1903-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 21 मार्च से दिनांक 08 अप्रैल 2022 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 09 से 10 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1905-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 28 मार्च से 01 अप्रैल 2022 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मार्च 2022 के एवं पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अप्रैल 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2022

क्र. C-733-दो-2-4-2021.—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक, पाँच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-735-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 28 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक, सोलह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-737-दो-2-117-2017.—श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-739-दो-2-19-2015.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2022 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-741-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-743-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 20 से 21 जनवरी 2022 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 9 मार्च 2022

क्र. C-952-दो-2-35-2017.—श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 02 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 08 नवम्बर 2021

के एक दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-954-दो-2-38-2021.—श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-831-दो-2-15-2019.—श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 22 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक, पन्द्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-833-दो-2-81-2018.—श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 11 से 25 फरवरी 2022 तक, पन्द्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-835-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 04 से 05 मार्च 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-837-दो-2-41-2015.—श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2022 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-839-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2022 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 फरवरी 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-841-दो-2-61-2013.—श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2021 तक एवं दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2021 तक, कुल छह दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10

दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-843-दो-2-48-2021.—श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2022

क्र. B-1647-दो-2-50-2020.—श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1650-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 9 से 12 मार्च 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2022

क्र. A-1365-दो-2-14-2021.—श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 6 से 14 जनवरी 2022 तक, नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1367-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री योगेश दत्त (शुक्ल) सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक-4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	. . . 217
अर्द्धवेतन अवकाश	. . . 83
<u>योग : 300 दिवस</u>	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय + महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = X 83  
के एवज में नगद 30  
भुगतान.

क्र. D-878-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 21 से 24 मार्च 2022 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-880-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को 21 से 24 फरवरी 2022 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2022

क्र. C-1136-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 28 फरवरी 2022 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 26 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, dated 08<sup>th</sup> April, 2022

No. B-2096-III-10-40-78.—In the notification of the High Court No. B-4903, dated 12th September, 2017; issued in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974), serial No. 21 of the table is amended as below :—

## TABLE

S. No. (1)	Court of Sessions (2)	Place, where the Courts shall ordinarily hold their sitting (3)
21	Narmadapuram	Narmadapuram, Sohagpur, Pipariya, Itarsi.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी-4903, दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

## सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	सामान्यतः बैठने का स्थान (3)
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. बी-2098-तीन-10-40-78-आठ.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666 दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तदनुसार उक्त अधिसूचना की सारणी के अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

## सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	3	नर्मदापुरम	2	नर्मदापुरम	3
		सोहागपुर	2	सोहागपुर	1	सोहागपुर	1
		पिपरिया	3	पिपरिया	2	पिपरिया	2
		इटारसी	3	इटारसी	2	इटारसी	3
				सिवनी मालवा	1	सिवनी मालवा	1
						पंचमढी	2

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, रजिस्ट्रार जिला स्थापना.

## कार्यालय, म. प्र. माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भू-तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2022

क्र. 298-फा.दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34(2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के लिए दिनांक 30 मई 2022 से 10 जून 2022 कुल 12 दिवस तक ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा. इस दौरान अधिकरण में न्यायिक कार्य (बैंचों में सुनवाई) नहीं होगी.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

आदेशानुसार,  
अरविंद प्रताप सिंह चौहान, रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर  
( 574, साउथ सिविल लाईन्स )

// आदेश //

क्रमांक फोन-18/स्था0/राविसेवा/ 109 /2022 जबलपुर दिनांक 07/04/2022

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विज्ञापन क्रमांक-37/जि.वि.स.अ./परीक्षा/2021, दिनांक 08.06.2021 के आधार पर जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान 56100-177500 में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परीक्षा पर अस्थायी एवं स्थापनापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर सारणी के कॉलम नम्बर-05 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	रोल नम्बर	नाम व. पिता का नाम	गृह जिला	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	MPAO2105415	श्री सिद्धार्थ शुक्ला पिता श्री रमेशचन्द्र शुक्ला	102 ब्रह्मात्रय कालोनी ग्वारीघाट (साकेत धाम) जबलपुर 482008	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी
2	MPAO2105910	श्री प्रवीण कुमार पिता श्री सुबेसिंह	वार्ड नं.33 गोविन्द नगर कालोनी, राजपुरा पिलानी जिला झुंझुनु राजस्थान 333031	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर
3	MPAO2106185	श्री सोरभ कुमार दुबे पिता श्री रघुनाथ दुबे	बी 68 स्ट्रीट नं.9 न्यू मार्डम शाहदरा नई दिल्ली थाना-मानसरोवर पार्क	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	MPAO2106937	श्री अतुल सेन पिता श्री अभयनाथ सेन	वार्ड नं.1 उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइन्स तहसील रघुराज नगर जिला सतना 485001	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली
5	MPAO2100817	कु० ऋतु प्रजापति पिता श्री एन.एल. प्रजापति	एमआईजी-166 सेंट मेरी स्कूल के पास एमएलबी. वार्ड नं.5, गौर नगर मकरोनिया सागर म.प्र. 470004	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़
6	MPAO2100994	श्री जयदेव मानिक पिता श्री सुखदेव मानिक	733 शिवमंदिर के पीछे, स्कीम नं. 51 सगम नगर एरोडम पुलिस थाना इन्दौर 452006	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर
7	MPAO2102270	कु. अनुपमा मुजाल्दे पिता श्री दुलसिंह	211-ए प्रजापत नगर थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर 452009	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा
8	MPAO2100199	श्री सर्वेश चतुर्वेदी पिता श्री सुरेन्द्र मोहन चतुर्वेदी	8/31 आर्य समाज रोड शिवपुरी म.प्र. 473551	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थीगण को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के वेतनमान रू. 56100-177500 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायापेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जायेगा।

उक्त अभ्यर्थीगण पदस्थापना स्थल पर दिनांक 25.04.2022 अथवा उसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे।

**शर्त:-**

- 1- वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे।
- 2- म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे।
- 3- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम, 1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।
- 4- एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी।



- 5- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार. भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 लागू होगी।
- 6- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 7- कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 8- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 9- अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10- अभ्यर्थियों द्वारा ज्वार्निंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किया जायेगा।
- 11- इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।
- 12- इन नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

राजीव कर्महे, सदस्य सचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 मार्च 2022

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	भगेपुर	निजी भूमि रकबा 3.013 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 3.013 है.	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2021

प. क्र. 23-प्रशा-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगावां	इटहा	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 2-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	रेहटी	अमीरगंज	24.079	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर.	महादेव बेन्द्रा जलाशय के शीर्ष भाग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है।  
 (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	450	0.006
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	439	0.002
रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2021	454	0.016

पत्र क्र. 17-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस	452	0.002
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	461	0.031
में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	458	0.012
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन	459	0.062
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	460	0.025
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,		
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित		
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	494	0.002
(क) जिला—रीवा	495/1	0.025
(ख) तहसील—नईगढ़ी	495/2	0.050
(ग) ग्राम—जोरौट	499	0.020
(घ) क्षेत्रफल—0.325		

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	0.325
(1)	(2)	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
	अ—निजी पट्टे की भूमि	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.000
451	0.040	अ+ब का योग . . .	0.325
453	0.032		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 19-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—नईगढ़ी  
(ग) ग्राम—भदावल  
(घ) क्षेत्रफल—0.159

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
	अ—निजी पट्टे की भूमि
790	0.004
791	0.019
792	0.005
796	0.012
795	0.011
806	0.006
807	0.018
816	0.084

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.159

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.159

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 21-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—पहुआ  
(घ) क्षेत्रफल—0.069

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
	अ—निजी पट्टे की भूमि
498	0.030
499	0.035
500	0.004

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.069

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.069

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. 2922-भू-अर्जन-2022.—चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—उमरहर, प.ह.नं.-41,  
ब. नं.-23, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.109  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
602/2	0.059

- (1) (2)
- |       |                  |
|-------|------------------|
| 603   | 0.030            |
| 604/2 | 0.020            |
| योग.  | 0.109 कुल रकबा   |
|       | 0.109 हेक्टेयर   |
|       | एवं प्रस्तावित   |
|       | क्षेत्रफल पर आने |
|       | वाली संपत्तियां. |
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, दांया तट नहर, उप संभाग क्र.-1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 27 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 1626-भू-अर्जन-2020-प्रकरण क्र.-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नर्मदापुरम	माखन नगर	बागरा मानागांव	1.000 हे.	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदापुरम.	सोनतलाई स्टेशन से बागराया स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव को. निजी भूमि ख. नं. 355/1, 355/2/1, 355/3/1 का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 45-रीडर-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—डही  
(ग) ग्राम का नाम—मालपुरा  
(घ) क्षेत्रफल— 2.660 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172	0.480
173/1	0.150
149/1/6/1	0.099
170	0.180

(1)	(2)
169/2	0.100
149/1/5	0.372
168/6	0.100
168/7	0.075
149/1/6/2	0.099
168/5	0.400
149/1/4	0.219
149/1/3	0.016
149/1/2	0.250
151/3	0.080
153/3	0.040
योग	2.660

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस उद्घोषण में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.